IJAER/ Jan-Feb 2022/Volume-11/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता

Anita Meena

Associate Professor in Political Science,

Govt.Deaf and Dumb College, Jaipur (Rajasthan)

सार

विकासशील देशों के अद्वितीय ज्ञान, अनुभव, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, मानदंड और विचार अन्य विकासशील देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं? यह सवाल पूछने लायक है, क्योंकि उभरते दानदाताओं के बारे में चल रही चर्चा विकासशील देशों के अपने अद्वितीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से शासन के मुद्दों पर संभावित योगदान का पता लगाने में विफल रही है। यह पत्र विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन की वृद्धि में भारत के योगदान की वास्तविकताओं और क्षमता की जांच करता है। यह तर्क देता है कि संवैधानिक लोकतंत्र का भारत का स्थायी अनुभव अन्य विकासशील देशों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, विशेष रूप से वे जो राष्ट्र-निर्माण और राज्य-निर्माण की परियोजनाओं के साथ-साथ जातीय रूप से शत्रुतापूर्ण वातावरण के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करने की कठिन चुनौती से निपट रहे हैं। और धार्मिक रूप से विभाजित समाज।

प्रमुख शब्द : भारतीय लोकतंत्र , स्वतंत्रता आंदोलन

परिचय

आजादी के बाद भारत ने 1947 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रभावी नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक राज्य की नींव रखी। 1936 में, पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्रता आंदोलन का मूल उद्देश्य "एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, एक संप्रभु राज्य है जो" पूर्ण लोकतंत्र "को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की शुरूआत करेगा। राष्ट्रीय आन्दोलन का मूल उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त करना नहीं था। फिर भी, इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक बुराइयों और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं और भेदभाव से खुद को मुक्त करना और वंचितों और दलितों का उत्थान करना है। हमारे संस्थापकों ने शासन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय प्रणाली पर आधारित एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की स्थापना का आह्वान किया।

सतत मानव विकास की उपलब्धि के लिए लोकतंत्र सर्वोपरि है। यह लोगों को बेहतर नीतियों की मांग करने और उन्हें आकार देने, शिकायतों को व्यक्त करने, न्याय पाने और राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बनाने में सहायक है। मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं से युक्त समाज लोगों को समान और टिकाऊ विकास उद्देश्यों को निर्धारित करने में सरकारों को

प्रभावित करने के लिए सशक्त बनाता है। डी लोकतंत्र, विशेष रूप से, का अर्थ है कि लोगों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है, जिससे उन्हें सम्मान के साथ जीने की अनुमति मिलती है। लोग उन निर्णयों में भाग लेते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं और समावेशी और निष्पक्ष नियमों, संस्थाओं और प्रथाओं के आधार पर निर्णय लेने वालों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जो सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जीवन और निर्णय लेने के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के बराबर की भागीदार हैं, और सभी लोग नस्ल, जातीयता, वर्ग, लिंग या किसी अन्य विशेषता के आधार पर भेदभाव से मुक्त हैं। लोकतंत्र में, सरकार ऐसी आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाती है जो लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन में विकल्पों का विस्तार करना होता है और जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का सम्मान करती हैं। संक्षेप में, लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो समावेशी और उत्तरदायी राजनीतिक प्रक्रियाओं और बस्तियों के लिए एक वातावरण बनाती हैं और बनाए रखती हैं।

दुर्भाग्य से, स्वतंत्रता के छह दशक बाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्य क्षमता अत्यधिक खतरे में है। प्रतिस्पर्धी और टकराव की राजनीति के कारण शासन की संस्थाओं का पतन हुआ है। असहिष्णुता, विभाजनकारीता, भ्रष्टाचार, टकराव और असह मति के प्रति अनादर हमारी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था के अलग आधारों को तेजी से खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ अलोकतांत्रिक संस्थाएँ समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बदनाम करने और हाशिए पर डालने का प्रयास करती हैं, जो एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रणाली में आदर्श रूप से संभव या संवैधानिक रूप से अनुमेय की तुलना में बड़े स्थान पर कब्जा करने के इरादे से होती हैं। संसदीय जवाबदेही की प्रभावशीलता में कथित गिरावट के कारण न्यायिक सक्रियता को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की जाती है। हालाँकि, विधायिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका का बार-बार हस्तक्षेप केवल संसद के अधिकार को और कम करने में योगदान देगा। (द हिंदू, 2007)

इसलिए, पेपर लोकतंत्र की अवधारणा को समझने पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह तीन प्रमुख मापदंडों अर्थात राजनीतिक भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता और मानवाधिकारों के संरक्षण के आधार पर भारत में लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता की जांच करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. लोकतांत्रिक शासन की भारतीय प्रणाली औरविश्व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना
2. भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों या चुनौतियों का अध्ययन करना
3. चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए संभावित उपायों का सुझाव देना औरभारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वस्थ औरअधिक टिकाऊ बनाने में मदद करना।

लोकतंत्र के प्रकार

आमतौर पर, प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की प्रथा को 'सिटी स्टेट सिस्टम' के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली में, लोगों ने शासन की अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यह एकलोकतांत्रिक देश के पूरे लोगों द्वारा सरकार की एक प्रणाली थी। प्राचीन ग्रीस में, 'सिटी स्टेट' की प्रणाली, लोकतंत्र देशके योग्य व्यक्तियों औरनागरिकों द्वारा शासन औरनियंत्रण है। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र या लोगों का शासन नागरिकों द्वारा शासन के नियंत्रण में था। लोकतंत्र को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे - प्रत्यक्ष लोकतंत्र औरअप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली प्राचीन यूनान में प्रचलित थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था में शासन के लिए आवश्यक कानूनों के निर्माणके लिए देश के लोग एकसाथ एकत्रित होते हैं औरवे इन नियमों को लागू भी करते हैं। नागरिक भी सीधे देश की न्यायिक प्रक्रिया में लगे हुए थे। लोकतंत्र के प्रावधान के अनुसार नागरिक स्वयं इन कर्तव्यों का पालन करते थे। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि नागरिकों के पास शासन की प्रक्रिया के साथ-साथ देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने की शक्ति है। स्विट्जरलैंड दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक अन्य प्रकार का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस प्रकार के लोकतंत्र में नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वर्तमान समाज में, दुनिया के अधिकांशदेशों ने बड़े आकार औरविशाल आबादी के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप माना है। जैसा कि यह प्रणाली प्रतिनिधियों द्वारा होती है, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत जैसा देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है औरइसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है। भारत में बड़ी आबादी औरदेश की विशालता के कारण लोग भारत में केंद्र , राज्य औरस्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौतियां:

सरकार के एकरूप के रूप में लोकतंत्र कईउभरती चुनौतियों का सामना करता है। लोकतंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित हैं।

1. अपराधीकरण - राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के कामकाज के लिए प्रमुख खतरों में से एकहै । आमतौर पर, इसका अर्थ है चुनावों के माध्यम से राजनीतिक दलों औरविधायिका में अपराधियों का सीधा प्रवेश और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए आपराधिक तरीकों औररणनीति का उपयोग करना। यह लोकतंत्र को औरअधिक अव्यवस्थित औरबाधित करता है क्योंकि यहां कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं। इसलिए, समाज में औरसाथ ही लोकतांत्रिक तंत्र के कामकाज में कानून औरव्यवस्था के टूटने की संभावना है। भारत में कई राजनीतिक दलराजनीतिक सत्ता हासिल करने या अपने स्वार्थ के लिए अपराधियों के गिरोह में शामिल हैं। राजनीति के अपराधीकरण के कारण समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार क्षरणहो रहा है। बिहार में 1997 के चुनाव में, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 67 राजनेता चुने गए जो जनता पार्टी के सदस्य थे (सरमाह , औरअन्य 2004)। यह आधुनिक भारत में भारतीय लोकतंत्र के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

2. जातिवाद - जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए एकऔरखतरा है। भारत में एकजाति-आधारित समाज है जो प्रकृति में अजीब है। भारत का लोकतंत्र जाति आधारित राजनीति का साक्षी रहा है; जाति आधारित वोट पैटर्न औरजाति आधारित युद्ध भी। भारत में, जाति व्यवस्था किसी व्यक्ति के जीने या बढ़ने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है जो लोकतंत्र का सार है। भारतीय समाज में, जाति व्यवस्था सामाजिक औरराजनीतिक स्तरों पर लोकतंत्र को प्रभावित करती है।

3. निरक्षरता- यह लोकतंत्र के कामकाज के रास्ते में एकऔरबाधा है। उनमें सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में जागरूकता की कमी है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भारत जैसे देश में लोकतंत्र औरनिरक्षरता दोनों एकसाथ नहीं चलसकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समाज में कानून का शासन हो, समानता का प्रावधान हो, वहां शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था समृद्ध हो सकती है। लोकतंत्र के लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन अज्ञानी औरनिरक्षर लोग सही लोगों को अपने शासक के रूप में नहीं चुन सकते। वे लोकतांत्रिक सरकार की मूल बातों को भी नहीं समझसकते। नतीजतन, एक अज्ञानी या अशिक्षित समाज के लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोर संरचना एकस्वस्थ लोकतंत्र को गतिशील रूप से बढ़ावा नहीं दे सकती है।

4. आतंकवाद- लोकतंत्र के कामकाज के लिए आतंकवाद एकऔरउभरती हुई चुनौती है। यह लोकतांत्रिक सरकारों को कमजोर करता है औरनिर्दोष लोगों को मारता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, आतंकवाद सार्वजनिक बहसों को विकृत करता है, नरमपंथियों को बदनाम करता है, राजनीतिक चरमपंथियों को सशक्त बनाता है, औरसमाजों का ध्रुवीकरण करता है। अब यह राष्ट्रीय औरअंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एकबड़ी बाधा है। आतंकवादी हिंसा का सामना करने वाली सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं औरनागरिक समाज जैसे कर्ता-धर्ता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे खतरनाक राजनीतिक प्रभाव हैं। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को दुनिया का दुश्मन घोषित करदिया। भारत जम्मू-कश्मीर में कईवर्षों से आतंकवादी समस्या का सामना कररहा है। भारतीय संसद में आतंकवादी हमला (2001) ताजहोटल (2008), पठानकोट (2016), औरपुलवामा (2019) कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डाल दिया।

5. भ्रष्टाचार- राजनीतिक भ्रष्टाचार लोकतंत्र के कामकाज में एकऔरबाधा है। यह सरकार की वैधता, लोकतांत्रिक मूल्यों औरसुशासन को कमजोर करता है। राजनीतिक नेता देश की अवैध संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव राजनीति, प्रशासन औरसंस्थाओं पर पड़ता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार सार्वजनिक नीति निर्माण में विश्वास औरजवाबदेही को कमकरता है; यह न्यायपालिका में कानून के शासन औरलोक प्रशासन में सेवा के अक्षम प्रावधान से समझौता करता है। भ्रष्टाचार का काउंटी की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

लोकतंत्र के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें

सामान्य रूप से दुनिया में और विशेष रूप से भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं।

1. लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता: - लोकतंत्र के लिए आवश्यक पहली और सबसे महत्वपूर्ण पूर्व शर्त राजनीतिक स्वतंत्रता है। यह लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रदान करता है। राजनीतिक रूप से उन्हें संगठित करना लोगों का मौलिक अधिकार है, हालांकि वे राजनीतिक प्राथमिकताओं का प्रयोग कर सकते हैं। भारत जैसे देश में, लोगों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और आगे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। भारत में, राजनीतिक स्वतंत्रता भी नागरिकों को संघ बनाने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार देती है।

2. लोकतंत्र और राजनीतिक चेतना:- सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक दूसरी महत्वपूर्ण शर्त राजनीतिक चेतना है। आम तौर पर, राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य और राजनीति के बारे में लोगों की जागरूकता है। इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहिष्णुता, स्पष्ट धारणा और सरकारों, राजनीतिक संस्थानों, राज्य और राजनीति के प्रति आम सहमति शामिल है। हालाँकि, लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक चेतना आवश्यक है।

3. लोकतंत्र और राजनीतिक शिक्षा: - राजनीतिक शिक्षा लोकतंत्र के लिए आवश्यक एक अन्य सफल घटक है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो राजनीतिक चेतना को प्रभावित करता है। यह सबसे अच्छा मंच है जहां नागरिकों को लोकतंत्र के विचारों और मूल्यों को जानने का अधिकार है। राजनीतिक शिक्षा लोगों की सरकार के खिलाफ रचनात्मक आलोचना करने की क्षमता को बढ़ा सकती है ताकि उन्हें सरकार के निर्णय लेने में सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा द्वारा नागरिक या तो कल के प्रभावी नेता बन सकते हैं या अनैतिक कारकों से प्रभावित हुए बिना अपने नेता को बुद्धिमानी से चुन सकते हैं।

4. लोकतंत्र और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा: - सफल कार्यशील लोकतंत्र के लिए छठा महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है। राजनीतिक अधिकारों के ठीक से प्रयोग के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। यह गरीबी उन्मूलन में मदद करता है और निष्पक्ष तरीके से उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों की उपलब्धता की दिशा में सुरक्षा प्रदान करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ लोगों के बीच धन की एकाग्रता और असमानता के उन्मूलन की बहुत आवश्यकता है।

5. लोकतंत्र और मजबूत पार्टी प्रणाली: - राजनीतिक दल लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक एक अन्य घटक है। राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक जनमत को संगठित करना और नीतिगत निर्णयों के अनुकूल स्थिति का निर्माण करना है। यह सरकार के गठन के साथ सरकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाता है। लोकतंत्र को और अधिक

सफलबनाने के लिए सत्ताधारी सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एकस्वस्थ औरप्रभावशाली विपक्षी दलका होना आवश्यक है। इसप्रकार, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकस्वस्थ औरस्वस्थ पार्टी प्रणाली आवश्यक है ।

6. लोकतंत्र औरमीडिया की स्वतंत्रता: - लोकतंत्र के सफलसंचालन के लिए आवश्यक चौथी महत्वपूर्ण पूर्व शर्त मीडिया की स्वतंत्रता है। एडमंड बर्क के अनुसार मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह सरकार के कामकाज को संप्रेषित करने में एकमहत्वपूर्ण औरमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मीडिया जनता के बीच लोकतांत्रिक विचारों को भी बढ़ावा देता है औरभ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, आतंकवाद आदि की गतिविधियों को उजागर करता है। इसलिए, यह रेखांकित करना आवश्यक है कि जनमतबनाने औरव्यक्त करने के लिए एकस्वतंत्र, स्वतंत्र औरनिष्पक्ष मीडिया आवश्यक है।

7. लोकतंत्र औरसत्ता का विकेंद्रीकरण :- लोकतंत्र के सफलसंचालन के लिए आवश्यक सातवीं पूर्व शर्त सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को चलाने के लिए सरकार की शक्ति का समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। सत्ता की प्राथमिकताओं के विकेंद्रीकरण के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा मंच है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के साथ, लोग सीधे प्रशासन में रुचि लेते हैं औरसरकार को पूर्ण समर्थन देते हैं। लोकतंत्र पंचायतीराज प्रणाली के माध्यम से शासन में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है । जैसा कि डी टोक्यूविले ने ठीक ही कहा है कि, "स्थानीय संस्थाएँ स्वतंत्र राष्ट्र की ताकत का निर्माण करती हैं। एकराष्ट्र स्वतंत्र सरकार की व्यवस्था स्थापित करसकता है, लेकिन नगरपालिका संस्थाओं के बिना, उसमें स्वतंत्रता की भावना हो सकती है।" गांव के विकास से ही भारत का विकास हो सकता है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए ग्राम पंचायत को अधिक स्वायत्त शक्तियों के साथ सशक्त किया जाना चाहिए।

8. लोकतंत्र औरस्वतंत्र औरस्वतंत्र चुनाव: - लोकतंत्र के सफलसंचालन के लिए आवश्यक सातवां घटकभारत में स्वतंत्र और स्वतंत्र चुनाव है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए, स्वतंत्र चुनाव तंत्र आवश्यक है जो संघ औरराज्य विधानमंडलों दोनों के चुनावों का संचालन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एकस्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है जिसे इसउद्देश्य के लिए संवैधानिक स्थिति के साथ डिजाइन किया गया है। एकस्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए, पूरे देश में चुनावी सुधारों के साथ-साथ चुनावी कानूनों को तैयार किया जाना चाहिए। जैसा कि यह तथ्य है कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का एकमहत्वपूर्ण घटकहै। इसप्रकार, एकस्वतंत्र, निष्पक्ष औरसमयसमयपर होने वाले चुनाव लोगों के विश्वास को स्थापित करने में मदद करते हैं औरयह लोगों की राय का सम्मान भी करते हैं।

संभावित सुझाव

भारतीय लोकतंत्र के सफलसंचालन के लिए निम्नलिखित कुछ आवश्यक सुझाव हैं

1. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मतदाता लोकतंत्र का दिल है। मतदाताओं को राजनीतिक चेतना के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोगों में अपने अधिकारों औरकर्तव्यों को जानने या जानने की क्षमता है। उन्हें जमीनी स्तर पर सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन आदि आयोजित करके अपने अधिकारों औरविशेषाधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए।

2. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरक्षर लोगों को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने-अपने उम्मीदवारों को समझदारी से मतदान करसकें। चेतना का अभाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अत भारत में राजनीतिक शिक्षा तथा ज्ञान का व्यापक प्रचार-प्रसार करइस दोष को दूर किया जा सकता है। यदि जनता अपनी राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होती तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सफलनहीं हो पाती।

3. एनजीओ औरसरकारी संस्थानों को हमेशा देश की भलाई के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए। उन्हें देश के आर्थिक औरसामाजिक विकास के लिए पहलको बढ़ावा देना चाहिए।

4. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को सही तथ्यों को सामने लाने औरलोकतंत्र की सच्ची भावना को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता सौंपी जानी चाहिए जो सरकार को समाज के सही तथ्यों का पता लगा सके।

5. लोकतंत्र को बनाए रखने में राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनमें लोकतंत्र की भावना औरदेश के सेवक के रूप में देश की सेवा करने का मन होना चाहिए, न कि देश के मामा के रूप में। उन्हें देश के विकास के लिए काम करना चाहिए औरसमुदाय की सेवा के विचार का पालन करना चाहिए। राजनेता मुद्दों के आधार पर राजनीति करसकते हैं, भारत में जाति, धर्म या सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर नहीं। उन्हें देश में ऐसी भूमिका निभानी होगी कि लोकतंत्र की सच्ची भावना को पुनर्जीवित किया जाए औरलोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुनर्संरचित किया जाए।

6. देश के नेता के पास अच्छे नैतिक मूल्य औरसत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आचरणऔरचरित्र के आधार पर अपना नेता चुनना नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य है। नेता को सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन की एकबुद्धिमान समझहोनी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक हित के लिए न्याय औरनिःस्वार्थ समर्पण प्रदान करना चाहिए। नेताओं को युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। इस प्रकार, लोकतंत्र की सफलता लोगों के साथ-साथ सरकार के उच्च नैतिक स्तर पर निर्भर करती है।

7. भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित राज्य सिद्धांतों के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) को भारतीय संविधान के भाग III के मौलिकअधिकारों की तरह ही न्यायसंगत अधिकार बनाया जाना चाहिए। डीपीएसपी को हमेशा भारत के लोगों के सामाजिक औ आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए।

8. विधायिका, कार्यपालिका औरन्यायपालिका, लोकतंत्र के तीन स्तंभ क्रमशः देश में चलरहे मामलों पर नजर रखकर सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। इन संस्थानों को हमेशा लोकतंत्र की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए औरदेश की बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए

निष्कर्ष

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एकमाना जाता है, लेकिन व्यवहार में, विभिन्न उभरती चुनौतियाँ या मुद्दे हैं जो भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत। हालांकि चर्चा का विषय है कि 1947 से आजादी के बहत्तर वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत में अशिक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवादी औरमाओवादी गतिविधियों की भरमार है जो लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ को खतरे में डालती है। आधुनिक विश्व में, प्रत्येक लोकतंत्र ने कईआर्थिक, सामाजिक, धार्मिक औरराजनीतिक समस्याओं का सामना किया है। लोगों के सहयोग से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जब लोगों औरसरकार की सोच के बीच कोई बड़ा अंतर न हो औरउनके बीच सहयोग की भावना हो। राजनेताओं के भ्रष्टाचार औरस्वार्थ के कारण मतदाताओं की आस्था लोकतंत्र के प्रति कमहुई है। हालांकि, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं जो अपने नागरिकों को समान अधिकार औरकर्तव्य सुनिश्चित करता है। इसलिए, यह राजनेताओं, सरकारों औरलोगों का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वे सामूहिक प्रयास करें औरसरकार के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लें औरअपने देश को परिपूर्ण बनाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम को पूरे देश में ठीक से लागू किया जाना चाहिए औरअधिनियमों को भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दुरुपयोग के खिलाफ एकप्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना राजनीतिक चेतना औरलोगों को लोकतांत्रिक अधिकार, कर्तव्यों औरमूल्यों के बारे में शिक्षित करके किया जा सकता है।

संदर्भ

1. बख्शी पीएम। चुनिंदा टिप्पणियों के साथ भारत का संविधान, नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड, 1999।

2. बेटेली आंद्रे। डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2012।

3. बीजू एमआर।(एड।), आधुनिक लोकतंत्र की गतिशीलता: भारतीय अनुभव, नई दिल्ली; कनिष्का प्रकाशक, 2009।

4. कोरी जेए। एलिमेंट्स ऑफडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1947।

5. फादिया बीएल। भारत सरकार औरराजनीति, आगरा: सत्यभवन प्रकाशन, 2007।

6. गहलोत एन.एस. भारतीय राजनीति को नई चुनौतियां, नई दिल्ली: दीप औरदीप प्रकाशन, 2002

7. गोल्ड कैरिल सी. रिथिंकिंग डेमोक्रेसी: फ्रीडम एंड सोशल कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988।

8. गुप्ता यूएन। भारतीय संसदीय लोकतंत्र, नई दिल्ली: अटलांटिक प्रकाशक, 2003।

9. जायल नीरज गोपाल । (एड।), डेमोक्रेसी इन इंडिया, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2007।

10. कश्यप सुभाष। हमारी संसद, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, 2008।

11. लैकॉफ सैनफोर्ड। लोकतंत्र: इतिहास, सिद्धांत, अभ्यास। बोल्डर, सीओ: वेस्ट व्यू प्रेस, 1996।

12. टौरियन एलेन। डैमोक्रैसी क्या होती है? बोल्डर, सीओ: वेस्ट व्यू प्रेस, 1997।